राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड

81वीं बैठक दिनांक 03 अगस्त, 2022 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या – 1	वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (NSFI) 2019-2024 : (क) वित्तीय सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच (ख) बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग (ग) बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट को कॉमन सर्विस सेन्टर के कार्य प्रदान करना (घ) सामाजिक सुरक्षा योजना (ङ) महत्वकांक्षी (Aspirational) जिलों (हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर) हेतु टारगेटेड वित्तीय समावेशन हस्तक्षेप कार्यक्रम (च) (i) वित्तीय साक्षरता केन्द्र (FLC) (ii) वित्तीय साक्षरता हेतु केन्द्र (CFL) (छ) अल्मोड़ा एवं चमोली जिले में शत प्रतिशत डिजीटाइज़ेशन कार्यक्रम
एजेण्डा संख्या – 2	(क) वार्षिक ऋण योजना 2022–23 (ख) वार्षिक ऋण योजना 2021–22 एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि (ग) ऋण ज़मा अनुपात
एजेण्डा संख्या – 3	ऋण योजनाओं हेतु वार्षिक लक्ष्य
एजेण्डा संख्या – 4	ऋण योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट
एजेण्डा संख्या – 5	स्वामित्व योजना
एजेण्डा संख्या – 6	किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना : (क) कृषि अवसंरचना निधि (AIF) (ख) प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) (ग) किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता अभियान (KCC Saturation campaign) (घ) (i) AHIDF Scheme of DAHD, GoI (ii) Central Sector Scheme (CSS) (ङ) कृषि ऋण पर स्टाम्प शुल्क में छूट (च) भूलेख पोर्टल (छ) नाबार्ड के लक्ष्य
एजेण्डा संख्या – 7	(क) योजनावार एन.पी.ए. की समीक्षा (ख) लम्बित वसूली प्रमाणपत्र (R.C.)
एजेण्डा संख्या – 8	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs)
एजेण्डा संख्या – 9	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)
एजेण्डा संख्या – 10	(क) एम.एस.एम.ई. (ख) ईमरजेन्सी क्रेडिट लाईन गारंटी योजना (GECL–1.0/GECL–2.0/GECL–3.0/GECL–4.0) (ग) Digitization of MSME Scheme (घ) ग्रीन फाईनेन्सिंग
एजेण्डा संख्या – 11	बाजार आसूचना (Market Intelligence)
एजेण्डा संख्या – 12	लम्बित प्रकरण (i) Issues pending with State Government (ii) Issues of SLBC pending with Banks
एजेण्डा संख्या – 13	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड

81वीं बैठक दिनांक 03 अगस्त, 2022 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा

80वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 80वीं बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2022 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्यवाही से राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत कराया गया है, जिसकी पुष्टि निम्नलिखित उप–समितियों की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान लिया गया है।

उप–समितियों की बैठकों के आयोजन का विवरण निम्नवत है :

1. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10 मई, 2022
2. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24 मई, 2022
3. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24 मई, 2022
4. Deepening of Digital Payments / Financial Inclusion / New Branch Opening हेतु गठित राज्य स्तरीय उप–समिति की बैठक दिनांक 24 मई, 2022
5. Steering Sub-Committee की बैठक दिनांक 01 जुलाई, 2022
6. Special SLBC की बैठक संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 13 जुलाई, 2022 को आयोजित की गयी, जिसमें वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की Flagship योजनाओं की समीक्षा की गयी।

Comparitive performance of Uttarakhand State Flagship Schemes (per lakh population) with National Average :

Sr.	Parameter	Uttarakhand	Country
1	Population as per Census 2011 (in lakh)	101	12,109
2	CASA per lakh population	1,42,490	1,23,866
3	Deposit per account (in Rs.)	5,575	3,684
4	Rupay Card issued per lakh population	20,566	26,333

(Source : DFS)

उपरोक्त तालिका में CASA एवं प्रति खाता जमा राशि में उत्तराखण्ड राज्य का औसत, राष्ट्रीय औसत से उत्तम है, जबकि क्र.सं. 4 में राष्ट्रीय औसत से कम है।

एजेण्डा संख्या – 1 :

वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (NSFI) 2019-2024 :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय नीति (NSFI) 2019–2024 घोषित की गयी है। NSFI के मुख्य कार्यबिन्दु निम्न हैं :

(क) वित्तीय सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच :

राज्य में कार्यरत बैंक शाखाओं, ए.टी.एम. का विवरण निम्नवत है :

	शाखाओं की संख्या			ए.टी.एम. की संख्या	
	31.03.20	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.22
सरकारी बैंक	1466	1452	1388	1918	1959
ग्रामीण बैंक	287	287	287	02	07
सहकारी बैंक	289	289	317	101	95
निजी बैंक	303	348	372	501	547
स्माल फाईनेन्स बैंक	21	25	28	11	15
पेमेंट बैंक	12	12	12	---	---
योग	**2378**	**2401**	**2392**	**2533**	**2623**

Comparitive performance of Uttarakhand State Flagship Schemes (per lakh population) with National average :

Sr.	Parameter	Uttarakhand	Country
1	Branch per lakh population	26	14
2	ATM per lakh population	26	18

(Source : DFS)

- उत्तराखण्ड राज्य में बैंक शाखा एवं ए.टी.एम. की संख्या, प्रति लाख जनसंख्या पर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- बैंकों का आपस में विलय होने के कारण कुछ शाखाओं का विलय किया गया तथा कुछ शाखायें बन्द कर दी गयी है, अतः बिगत तीन वर्ष में सरकारी बैंक की शाखाओं की संख्या में 78 की कमी हुयी है।
- निजी बैंकों की संख्या में बिगत तीन वर्ष में 69 की बृद्वि हुयी है।
- ए.टी.एम. की संख्या में वर्ष 2021 के सापेक्ष वर्ष 2022 तक ए.टी.एम. की संख्या में 90 की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

(i) <u>नई शाखा</u> :

दिनांक 04.01.2022 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 80वीं बैठक, जो कि माननीय राज्य वित्त मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में सचिवालय परिसर में आयोजित की गयी थी, के निर्देशानुसार वित्तीय व्यवहार्यता (Financial Viability) को मध्यनजर रखते हुये राज्य में **58** नई शाखायें ऑन साईट ए.टी.एम. सहित खोलने हेतु बैंकों को निर्देशित किया गया था। वर्तमान स्थिति निम्नवत है :

क्र. सं.	बैंक	नई शाखा खोलने की संख्या	नई शाखा खोलने हेतु प्रस्तावित स्थान	खोली गयी नई शाखाओं की संख्या
1	भारतीय स्टेट बैंक	10	बलुवाकोट, मेडिकल कालेज अल्मोड़ा, चरैल, मल्ली बमोड़ी, सिसोना, हर्षिल, धिंदवाड़ा, रणसोलीधार, केदारनाथ धाम, 135 ब्रिगेड –रुड़की	02
2	पंजाब नेशनल बैंक	05	धारी कलोगी, छिद्दरवाला, कालाढुंगी,	01
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	05	.....	...
4	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	05	हरिद्वार	...
5	कैनरा बैंक	03	.....	...
6	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया*	04	*	...
7	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	02	.....	...
8	यूको बैंक	02	.....	...
9	इण्डियन ओवरसीज बैंक	02	.....	...
10	बैंक ऑफ इण्डिया	02	उत्तरकाशी एवं चम्पावत	02
11	इण्डियन बैंक	02	डोईवाला, सेलाकुई, प्रेमनगर, रायपुर, देवप्रयाग, टनकपुर, चम्बा, मंगलौर, गैरसैण, भगवानपुर	...
12	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	02	देहरादून, ऋषिकेश, काशीपुर	...
13	एक्सिस बैंक	02	हरिद्वार	...
14	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	04	ज्वालापुर, सेलाकुई, देहरादून, लाल कुर्ती कैन्टोन्मेन्ट रुड़की, कोटद्वार, रानीखेत	...
15	आई.डी.बी.आई. बैंक	02	सितारगंज, बाजपुर	...
16	एच.डी..एफ.सी. बैंक	06	.....	...
योग		58	योग	05

*सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका बैंक RBI PCA Framework में है, जिस कारण नई शाखा खोलने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबन्धित हैं।

- **बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक से नई शाखा खोलने की सूचना प्रतीक्षित है।**

- चार धाम यात्रा मार्ग में यात्रियों को वित्तीय लेनदेन में सुविधा प्रदान करने हेतु वित्तीय सम्भाव्यता को मध्यनजर रखते हुये राज्य में कार्यरत प्रमुख बैंकों को ए.टी.एम. लगाने हेतु कहा गया है, जिसके लिए उपयुक्त स्थान प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- भारतीय स्टेट बैंक केदारनाथ धाम में शाखा एवं ए.टी.एम. खोलने जा रहा है। प्रशासन द्वारा ए.टी.एम. परिसर हेतु स्थान उपलब्ध करा दिया है। प्रशासन से शाखा खोलने हेतु उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने का आग्रह करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा केदारनाथ धाम में स्थापित किये जाने वाला ए.टी.एम. फाटा, रुद्रप्रयाग तक पहुंचा दिया गया है। ए.टी.एम. को केदारनाथ धाम तक पहुंचाने हेतु भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा करता है।

(ii) बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित गाँव :

- अंतर–राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 05/01/2021-ZCS (C) दिनांक 06.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में **244** गांव में बैंक/इण्डियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखा कार्यरत नही है तथा इनमें से 33 गांव 10 किमी0 की परिधि से अधिक दूरी के अंतर्गत आते है।
- अनाच्छादित 244 गांवों की सूची समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों एवं इण्डियन पोस्ट पेमेंट बैंक को प्रेषित कर दी गयी है।
- उक्त सूची में 197 गांवों में आबादी 500 से कम है।
- गौरीकुण्ड एंव केदारनाथ धाम के मध्य में स्थित गौरिया एक पड़ाव है न कि गांव।
- सूची में यमकेश्वर ब्लाक में एक ग्राम का नाम एफ–1 दर्शाया गया है, जिससे गांव की स्थिति का पता नही चल पा रहा है।
- उक्त विषयक अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया है :
  - 72 गांवों में रोड़ कनेक्टिविटी नही है।
  - 68 गांव में Migratory Population निवास करती है।
  - 13 गांवों में 5 किमी. की परिधि में सरकारी बैंक हैं।
- इण्डियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया है :
  - 24 गांवों में 5 किमी. की परिधि में इण्डियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखा कार्यरत है।
  - 11 गांवों में नई शाखा खोलने हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
- 54 स्थान, जहां पर सड़क, नेटवर्क कनेक्टिविटी कम/नही है। इन स्थानो का DOT / ITDA कनेक्टिविटी हेतु सर्वे करें। अगर इन स्थानों पर सुचारु कनेक्टिविटी पायी जाती है, तो इन स्थानों में शाखा खोलने हेतु बैंकों को सर्वे करने को कहा जायेगा।
- 33 गांव की दूरी 10 किमी. की परिधि से अधिक हैं।
- वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैंकिंग संतृप्तता हेतु 5 किमी. रेडियस की उचित दूरी के अन्तर्गत गांव में एक औपचारिक वित्तीय सेवा प्रदाता हो, ताकि ग्रामवासियों को बैंकिंग सेवायें प्राप्त हो सके। DBT-GIS (Jan Dhan Dharshak App) के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त गांव वित्तीय सुविधा (बैंक शाखा/बी.सी./ए.टी.एम.) से संतृप्त हैं ।
- 44 गांवों में शाखा खोलने हेतु एस.एल.बी.सी. गांवों को सरकारी एवं इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक को आबंटित करेगा।
- शासन से आग्रह है कि इन स्थानों पर शाखा खोलने हेतु उचित मूलभूत सुविधायें प्रदान की जाय तथा बैंकों को शाखा खोलने हेतु सहकारी बैंकों की भांति वित्तीय सहायता प्रदान की जाय।

नाबार्ड द्वारा बैंकों को निम्नवत रुप में नई शाखा खोलने हेतु सहायता प्रदान की जाती है :

VSAT deployment :

- **Objective** – Installation of VSAT in sub service area of the bank for
  I Kiosk / fixed CSP
  II New Bank branch opened (existing bank branches also eligible) which are facing connectivity issue, however priority may be given to new branches being opened in unbanked areas while submitting proposals.
- **Eligible institutions** – Scheduled commercial banks, (including SFB & PB), RCBs and RRBs.
- **Grant** – Rs. 3 Lakh per unit.
- **Status** – Uttarakhand Gramin Bank has expressed interest in additional sanction of VSATs. Other banks may also submit proposals.

Mobile signal booster deployment :

- **Objective** – Installation of Mobile signal booster in sub service area of the bank for
  I Kiosk / fixed CSP
  II New Bank branch opened (existing bank branches also eligible) which are facing connectivity issue, however priority may be given to new branches being opened in unbanked areas while submitting proposals.
- **Eligible institutions** – Scheduled commercial banks, (including SFB & PB), RCBs and RRBs.
- **Grant** – Rs. 6,000/- per unit.
- **Status** – Instrested Banks may submit proposals.

बैंकों से आग्रह है कि वे नाबार्ड से नई शाखा खोलने हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता का उपयोग करें।

(ख) बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग :

दिनांक 31/03/2022 तक Business Correspondent विषयक प्रगति निम्नवत है :

	Total No. of B.C..	Active B.C.	In-Active B.C.	No. of B.C. completed B.C. Certification Course	No. of remaining B.C. for completion of B.C. Certification Course
As on 31.03.22	3686	3317	369	2258	1428
As on 31.03.21	2624	2252	372	1316	1308
As on 31.03.20	2450	2136	314	960	1457

- वित्तीय वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 में बी.सी. की संख्या में 1236 की बढ़ोतरी हुयी है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 में Active B.C. की संख्या में 1181 की बढ़ोतरी हुयी है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के सापेक्ष बी.सी., जिन्होने सर्टिफिकेशन कोर्स पूर्ण कर लिया है, की संख्या में वित्तीय वर्ष 2021–22 में 1298 बी.सी. की बढ़ोतरी हुई है।
- एक्सिस बैंक द्वारा 31.12.2021 को बी.सी. की संख्या 101 रिपोर्ट की गयी थी, जो कि मार्च, 2022 त्रैमास में बढ़कर 733 हो गयी है।

Comparitive performance of Uttarakhand State Flagship Schemes (per lakh population) with National average ;

Sr.	Parameter	Uttarakhand	Country
1	Bank Mitra (including IPPB) per lakh population	59	53

(**Source :** DFS)

- उत्तराखण्ड राज्य में बी.सी. की संख्या, प्रति लाख जनसंख्या पर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

(ग) बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को कॉमन सर्विस सेन्टर के कार्य प्रदान करना :

- कॉमन सर्विस सेन्टर MeitY (Ministry of Electronics and Information Technology) द्वारा संचालित किये जाते हैं।
- दिनांक 24.05.2022 को आयोजित Deepening of Digital Payments / Financial Inclusion / New Branch Opening हेतु गठित राज्य स्तरीय उप–समिति की बैठक में अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सुझाव दिया गया था कि राज्य में कार्यरत Common Service Centre (CSC) से Business Correspondent का कार्य भी लिया जा सकता है। ऐसा करने से बी.सी. की आय में बढ़ोतरी हो सकती है।
- बी.सी. अपने कियोस्क में MeitY द्वारा अनुमोदित सी.एस.सी. खोल सकता है तथा वहां पर बैंकिंग, बीमा, e - services एवं G2C के कार्य कर सकता है।
- बैंकों से आग्रह है कि वे अपने बी.सी. को सी.एस.सी. के कार्य करने हेतु अधिकृत करें।

(घ) सामाजिक सुरक्षा योजना :

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जन सुरक्षा योजनाओं हेतु दिनांक 02.10.2021 से 30.09.2022 तक संतृप्तता अभियान प्रारम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देशित किया गया है।

योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए बैंकों द्वारा निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

योजना	आच्छादित खातों की संख्या			
	As on 31.03.2020	As on 31.03.2021	As on 31.03.2022	As on 31.05.2022
पी.एम.जे.डी.वाई (PMJDY)	26,97,781	28,59,104	30,39,442	30,76,798
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)	16,77,754	20,43,505	22,62,442	23,02,355
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJY)	4,35,773	4,59,346	5,58,148	5,72,869
अटल पेंशन योजना (APY)	2,06,556	2,81,786	3,93,453	4,49,364

(**Source** : F.I. Plan Portal - PMJDY, Banks - PMSBY, PMJJBY, PFRDA - APY)

Update on Central Govt. Flagship Scheme :

Sr. No.	Scheme Name	As on	Information	Country	Uttarakhand
1	PMJDY	22/06/2022	Deposit in PMJDY Accounts (Rs. In Cr.)	1,68,835.06	1,651.67
			No. of Female PMJDY Accounts	25,49,71,011	15,67,602
2	PMJJBY	15/06/2022	Cumulative PMJJBY Enrollments	12,96,85,949	7,01,822
			Claims amount Paid (Rs. In Cr.)	11,774.84	74.40
3	PMSBY	15/06/2022	Cumulative PMJJBY Enrollments	28,80,64,259	28,17,396
			Claims amount Paid (Rs. In Cr.)	1,976.35	38.86
4	APY	31/05/2022	Total number of APY Subscribers	4,14,06,657	4,49,204

(**Source :** DFS)

पी.एम.जे.डी.वाई. में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJY) अंतर्गत शत–प्रतिशत संतृप्तता अभियान वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। एस.एल.बी.सी. प्रत्येक सप्ताह संतृप्तता अभियान की प्रगति वित्तीय सेवायें विभाग को प्रेषित कर रहा है।

Comparitive performance of Uttarakhand State Flagship Schemes (per lakh population) with National Average :

Sr.	Parameter	Uttarakhand	Country
1	PMJDY Accounts per lakh population	29,374	37,853
2	PMJJBY enrollments per lakh population	6,958	10,710
3	PMSBY enrollments per lakh population	27,933	23,790
4	APY Subscribers per lakh population	4,454	3,420

(**Source :** DFS)

- उत्तराखण्ड राज्य में PMSBY एवं APY की संख्या प्रति लाख जनसंख्या पर राष्ट्रीय औसत से अधिक है तथा PMJDY एवं PMJJBY की संख्या प्रति लाख जनसंख्या पर राष्ट्रीय औसत से कम है।
- अटल पेंशन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिनांक 31.05.2022 तक **20517** खाते खोले गये हैं।
- PFRDA द्वारा 29.07.2022 को एस.एल.बी.सी. के साथ देहरादून में APY Outreach Programme का आयोजन किया गया था।
- दिनांक 02.10.2021 से 30.09.2022 तक वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु संतृप्तता अभियान चलाया जा रहा है।

पी.एम.एम.वाई. (MUDRA) एवं पी.एम.जे.डी.वाई. अंतर्गत खाताधारकों को सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत आच्छादित खातों की प्रगति का विवरण निम्नवत है :

पी.एम.एम.वाई.(MUDRA) अंतर्गत दिनांक 02.10.2021 से 30.06.2022 तक की सामाजिक सुरक्षा योजना में अंतर्गत आच्छादित खातों की प्रगति :

PMJJBY			PMSBY		
No. of Eligible PMMY A/C	Total Enrolled till date	Coverage %	No. of Eligible PMMY A/C	Total Enrolled till date	Coverage %
68396	14593	21	81485	26592	33

पी.एम.जे.डी.वाई. अंतर्गत दिनांक 02.10.2021 से 30.06.2022 तक आच्छादित खातों की प्रगति :

PMJJBY			PMSBY		
No. of Eligible PMJDY A/C	Total Enrolled till date	Coverage %	No. of Eligible PMJDY A/C	Total Enrolled till date	Coverage %
697612	133665	19	820584	441488	54

(Data Source : Jan Suraksha Portal)

एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे पी.एम.एम.वाई. एवं पी.एम.जे.डी.वाई खाताधारकों को सुरक्षा बीमा योजना से आच्छादित करें।

- वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F. no. H-12011/2/2015-Ins.II दिनांक 30.05.2022 के अनुसार दिनांक 01.06.2022 से पी.एम.जे.जे.बी.वाई. अंतर्गत प्रीमियम राशि रु. 330.00 से बढ़ाकर रु. 436.00 तथा पी.एम.एस.बी.वाई. अंतर्गत रु. 12.00 से बढ़ाकर रु. 20.00 कर दिया गया है। कृपया तदनुसार बैंक, समस्त बीमाधारकों को सूचित करें।
- पी.एम.एम.वाई. में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा (PMSBY) योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा (PMJJY) योजना में शत–प्रतिशत संतृप्तता अभियान वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। एस.एल.बी.सी. प्रत्येक सप्ताह संतृप्तता अभियान की प्रगति वित्तीय सेवायें विभाग को प्रेषित कर रहा है।
- एस.एल.बी.सी. ने बैंकों को निर्देशित किया है कि खाते खोलते समय ग्राहकों के वे पी.एम.एम.वाई. में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा (PMSBY) योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा (PMJJY) योजना अंतर्गत उनका बीमा करवायें।
- एस.एल.बी.सी. द्वारा अग्रणी जिला प्रबन्धकों को निर्देशित किया है कि वे अपने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में पी.एम.एम.वाई. एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी प्रदान करें।

Appropriation of premium under PMJJBY and PMSBY is as under :

If enrolment is fresh :

Scheme	Premium to be collected (w.e.f. 1/6/22)	Premium to be paid to insurer	Commission to BC, Agent, etc.	Admin. Exps. To Bank
PMJJBY	436	395	30	11
PMSBY	20	18	1	1

If enrolment is renewal :

Scheme	Premium to be collected (w.e.f. 1/6/22)	Premium to be paid to insurer	Commission to BC, Agent, etc.	Admin. Exps. To Bank
PMJJBY	436	425	0	11
PMSBY	20	19	0	1

Voluntary enrolment through electronic mode (fresh) :

Scheme	Premium to be collected (w.e.f. 1/6/22) (Ist Quarter)	Premium to be paid to insurer	Commission to BC, Agent, etc.	Admin. Exps. To Bank
PMJJBY	406	395	0	11
PMSBY	19	18	0	1

Banks to delete old debit mandate and take fresh debit mandate from PMJJBY and PMSBY beneficiaries. Debit made as per the old mandate w.e.f. 01/06/2022 is being returned by insurance companies and the policy remains unrenewed.

(ङ) महत्वकांक्षी जिलों (हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर) हेतु टारगेटेड वित्तीय समावेशन हस्तक्षेप कार्यक्रम :

Aspirational District (Haridwar & US Nagar) for Targetted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) :

नीति आयोग द्वारा राज्य में हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर जिले को F.I. हेतु Aspirational District के तौर पर चिन्हित किया गया है। Targetted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) के अन्तर्गत हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर जिले द्वारा KPI (Key Performance Indicator) में निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

Progress Report of Distt. Haridwar As on 31.05.2022 (Population of Distt. Haridwar is 18.90 lakh) :

PMJJBY		PMSBY		APY		PMJDY A/C Open		Aadhar Seeding %	
(Per 1 lakh population)		(Per 1 lakh population)		(Per 1 lakh population)		(Per 1 lakh population)			
Target	**Achievement**	**Target**	**Achievement**	**Target**	**Achievement**	**Target**	**Achievement**	**Target**	**Achievement**
7000	5889	28000	24116	5000	4028	43000	39480	84	81.70

Progress Report of Distt. US Nagar As on 31.05.2022 (Population of Distt. US Nagar is 16.49 lakh) :

PMJJBY		PMSBY		APY		PMJDY A/C Open		Aadhar Seeding %	
(Per 1 lakh population)		(Per 1 lakh population)		(Per 1 lakh population)		(Per 1 lakh population)			
Target	**Achievement**	**Target**	**Achievement**	**Target**	**Achievement**	**Target**	**Achievement**	**Target**	**Achievement**
...	8617	...	34813	...	4913	...	47598	...	83

(Source of Data : Champions of Change Portal)

उधम सिंह नगर जिले का लक्ष्य Champions of Change Portal पर दर्ज नही है।

उधम सिंह नगर जिले का प्रत्येक के.पी.आई. में हरिद्वार जिले से उत्तम प्रगति है।

(च) (i) वित्तीय साक्षरता केन्द्र (FLC) :

वित्तीय साक्षरता केन्द्र निम्नलिखित प्रशिक्षण शिविर करते हैं :

* एक माह की अवधि में वित्तीय प्रणाली में शामिल किये गये लोगों के लिए 02 Special Camp on Digital Platforms UPI and USSD शिविर का आयोजन किया जाता है।
* 5 लक्षित समूहों (किसान, छोटे उद्यमी, स्कूली बच्चे, वरिष्ट नागरिक एवं स्वंय सहायता समूह) के लिए प्रतिमाह एक शिविर आयोजित करना होता है।
* बैंक की ग्रामीण शाखाओं को प्रतिमाह के तृतीय शुक्रवार को एक शिविर आयोजित करना होता है।

राज्य में 16 वित्तीय साक्षरता केन्द्र कार्यरत हैं, जिनकी दिनांक 31.03.2022 की प्रगति रिपोर्ट निम्नवत है :

Sr. No.	District	FLC Trainer	Name of Sponsoring	FLC Manager				Rural Branches	
				No. of Sepcial Camps	participant	No. of specific Camps	Participants	Camps	
1	Uttarkashi	LDM	SBI	6	0	15	270		214
2	New Tehri	LDM	SBI	4	91	30	681		34
3	Chamoli	LDM	SBI	6	124	15	291		83
4	Champawat	LDM	SBI	14	387	9	248		368
5	Bageshwar	LDM	SBI	8	188	7	171		75
6	Pithoragarh	LDM	SBI	7	163	8	176		216
7	Rudraprayag	LDM	SBI	2	65	1	16		10
8	Pauri	LDM	SBI	6	115	8	235		184
9	Almora	LDM	SBI	8	191	9	200		132
10	Dehradun	Hired Trainer	PNB	2	68	10	448		12
11	Haridwar	Hired Trainer	PNB	6	168	14	355		135
12	Nainital	Hired Trainer	BOB	14	492	26	646		177
13	US Nagar	Hired Trainer	BOB	6	176	11	280		393
14	Tehri	Hired Trainer	UGB	2	65	7	169	Rural Camps	2033
15	Nainital	Hired Trainer	UGB	8	265	6	220	Special Camps	102
16	US Nagar	Hired Trainer	UGB	3	162	5	215	Specific Camps	181
	TOTAL			102	2800	181	4621	Total Camps	2316

- भारतीय स्टेट बैंक में अग्रणी जिला प्रबन्धक वित्तीय साक्षरता केन्द्र का दायित्व भी पूर्ण कर रहे हैं।
- वित्तीय साक्षरता केन्द्र प्रशिक्षकों के कार्यालय हेतु उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने की व्यवस्था बैंकों द्वारा किये जाने की आवश्यकता है।
- वित्तीय साक्षरता केन्द्रों द्वारा मार्च, 2022 में **2316** कैम्पों का आयोजन वित्तीय साक्षरता हेतु किया गया है, जिसमें 7421 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है।

(ii) <u>वित्तीय साक्षरता हेतु केन्द्र (CFL)</u> :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय नीति (NSFI) 2019–2024 के अंतर्गत प्रथम फेज में राज्य के समस्त जिलों के 16 ब्लाकों में प्रायोजक बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा) के सहयोग से CRISIL Foundation (implementing NGO) द्वारा वित्तीय साक्षरता केन्द्र की स्थापना की गयी हैं।

Project cost is being funded from Depositor Education Awareness (DEA) Fund of RBI and part portion is being funded by Sponsor Bank (SBI, PNB, BOB).

Funding Details	Funding from DEA Fund or FIF (as applicable)	SBI / PNB / BOB
CAPEX	Rs. 5 Lakh	NIL
OPEX	Rs. 8.1 Lakh per year for three years = Rs. 24.3 Lakh	Rs. 0.9 lakh per year for three years = Rs. 2.7 lakh
Total	Rs. 29.3 Lakh	Rs. 2.7 lakh
Total per CFL	Rs. 32 lakh	

Sponsor Banks to claim reimbursement of Opex expenses from RBI on quarterly basis after getting the bills audited by Statutory Auditors.

- CRISIL NGO has been advised to share the calendar of training camp with LDMs to ensure the participation and awareness amongst Banks in the respective Blocks.

मार्च, 2022 तक CRISIL Foundation (implementing NGO) द्वारा राज्य में **1324** वित्तीय साक्षरता कैम्पों का आयोजन किया गया। (Data : CRISIL NGO)

नाबार्ड ने अपने पत्रांक रावै.उत्तराखंड/849/एमसीआईडी/विविध/2022–23 दिनांक 11.07.2021 के माध्यम से अवगत कराया है कि वित्तीय समावेशन जागरुकता को बढावा देने, बैंकरों–स्वयं सहायता समूहों के बीच इंटरफेस को बढ़ाने और एसएचजी–बीएलपी को और मजबूत करने के उद्देश्य से ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों (वीएलपी) को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों की शाखाओं के माध्यम से सभी 13 जिलों में आयोजित किए जा सकते हैं। बैंकों का इसके लिए नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नाबार्ड द्वारा इस उद्देश्य के लिए रु. 2000/– प्रति वीएलपी की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

On tap facility provide by NABARD for Financial Literacy :

- NABARD provide on tap facility for conducting Financial Literacy Programme by branches of Banks, through FLCs.
- Maximum support provided by NABARD for conduct of Financial Literacy Programme – Financial and Digital literacy camp – Rs. 6,000/-.
- NABAD provide reimbursement for handheld projector with battery, screen and speakers for conducting Financial Literacy Programme – Rs. 30,000/-.
  Eligible Institutions – Rural Branches and FLCs of Scheduled Commercial Banks, RCBs and RRBs.

(छ) अल्मोड़ा एवं चमोली जिले में शत प्रतिशत डिजीटाइजेशन :

अल्मोड़ा जिले में दिसम्बर, 2019 से डिजीटाईजेशन का कार्य प्रारम्भ किया गया था। द्वितीय जिले के रुप में चमोली जिले का डिजीटाईजेशन हेतु दिसम्बर, 2021 में चयन किया गया था। 100 प्रतिशत डिजीटाइजेशन के अंतर्गत दिनांक 31/05/2022 तक की प्रगति निम्नवत है :

		Almora	Chamoli
Digital coverage for individuals (SB Accounts)	Total No. of Eligible Operative SB A/c	693060	444555
	No. of Eligible Operative SB A/c Covered with Debit/RuPay cards	548048	259182
	% Debit/RuPay Cards coverage	79	58.30
	No. of Eligible Operative SB A/c Covered with Net Banking	187955	83686
	% Net Banking Coverage	27	18.82
	No. of Eligible Operative SB A/c Covered with Mobile Banking/UPI/USSD etc.	396121	88889
	% of Mobile Banking+UPI+USSD coverage	57	20
	No. of Eligible Operative SB A/c Covered with Aadhar Enabled Payment System (AEPS)	470602	329756
	% AEPS coverage	68	74.18
	Total No. of Eligible operative SB A/c covered with atleast one of the facilities Debit/RuPay cards/Net Banking/Mobile banking/UPI/USSD/AEPS etc.	678863	361366
	% of Eligible Operative A/c digitally covered (with at least one of the facilities) out of total Operative Savings Accounts	98	81.29
	No. of Operative SB Accounts Ineligible for digital coverage as per Bank's Board approved policies	98821	42840
Digital Coverage for Business (Current Accounts)	Total No. Eligible Operative Current/Business A/c	7638	4919
	No. of Eligible Operative Current/Business A/c Covered through Netbanking	4277	1526
	% Net Banking coverage	56	31
	No. of POS/QR availed by Eligible Operative Current/Business A/c	3731	2267
	% of POS/QR coverage	49	46
	No. of eligible operative current/Business A/c covered with Mobile Banking etc.	4094	1146
	% of Mobile Banking coverage	54	23.30
	Total No. of Eligible Operative Current/Business A/c covered with atleast one of the facilities – Net Banking/POS/QR/Mobile Banking etc.	7139	2716
	% of Eligible Operative A/c digitally covered (with atleast one of the facilities) out of total operative Current/Business A/c	93	55.21
	No. of operative Current/Business A/c Inelligible for digital coverage as per Bank's Board approved policies	1927	1048

शत प्रतिशत डिजीटाईजेशन में कमी के मुख्य कारण निम्नवत है :

- Aadhar Enabled Payment System (AEPS) कबरेज प्रतिशत अल्मोड़ा जिला में 68 प्रतिशत एवं चमोली जिला में 74 प्रतिशत है।
- Net Banking Coverage अल्मोड़ा जिला में 56 प्रतिशत एवं चमोली जिला में 31 प्रतिशत है।
- Mobile Banking Coverage अल्मोड़ा जिला में 54 प्रतिशत एवं चमोली जिला में 23 प्रतिशत है।
- % Debit/RuPay Cards coverage अल्मोड़ा जिला में 79 प्रतिशत एवं चमोली जिला में 58 प्रतिशत है।

बैंकों को अल्मोड़ा एवं चमोली जिले में Net Banking Coverage एवं Mobile Banking Coverage बढ़ाने की आवश्यकता है।

Broad Band Connectivity एवं Internet Speed बढ़ाये जाने हेतु RBI, DOT एवं राज्य में कार्यरत प्रमुख बैंकों के साथ दिनांक 16.06.2022 को एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा बी.सी. के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में निदेशक ग्रामीण, दूरसंचार विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया है :

- राज्य में कुल 15745 गांव हैं, जिसमें से 14327 गांव को 3G/4G दूरसंचार सेवा से आच्छादित कर दिया गया हैं। 648 गांव किसी भी technology से आच्छादित नही है, जिसकी सूची भारत सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।
- उत्तराखण्ड राज्य में फेज–1 के तहत BBNL द्वारा भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत राज्य की 1861 ग्राम पंचायतों में से 1541 ग्राम पंचायतों में Internet की सुविधा Optical fibre connection द्वारा पहुंचा दी गयी है। फेज–1 के तहत अवशेष 320 ग्राम पंचायतों में मार्च, 2023 तक Internet की सुविधा Optical fibre connection द्वारा पहुंचा दी जायेगी।
- Universal Service Obligation Fund (USOF) के तहत राज्य के पहाड़ी जिलों पिथौरागढ़, चमोली एवं उत्तरकाशी के दूर–दराज क्षेत्रों में कनेक्टीविटी प्रदान की जा रही है।
- Bharat Broadband Nigam का लक्ष्य उत्तराखण्ड राज्य के समस्त गांवों को Internet की सुविधा Optical fibre connection से कवर करना है। सरकार की योजना वर्ष 2025 तक प्रत्येक गांवों को दूरसंचार सेवाओं से आच्छादित करना है।

एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा दूरसंचार विभाग को ग्रे एरिया वाले क्षेत्रों की सूची ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कर दी गयी है।

एजेण्डा संख्या – 2 :

(क) वार्षिक ऋण योजना 2022–23 :

राज्य के समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों से वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्राप्त वार्षिक ऋण योजना को भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा समीक्षा उपरांत क्षेत्रवार/सेक्टरवार लक्ष्य आवंटित किये गये हैं, जो कि सदन के अनुमोदन हेतु निम्नवत प्रस्तुत है :

(Amt. in Cr.)

Target	Crop Loan	Term Loan (Including Agr. Infrastructure & Ancillary Activities)	Farm Sector (Agriculture)	Non Farm Sector (MSME)	Other Priority Sector	Total Priority Sector
	A	B	(A+B) = C	D	E	(C+D+E) = F
ACP 2022-23	7334.38	5216.68	12551.06	10994.15	4115.16	27660.37
ACP 2021-22	7180.77	5117.82	12298.59	10453.54	3858.70	26610.82
Difference	**153.61**	**98.86**	**252.47**	**540.61**	**256.46**	**1049.55**

वार्षिक ऋण योजना 2022–23 का वर्गीकरण :

कृषि क्षेत्र : **(Amt. in Cr.)**

Farm Credit		Agri. Infrastructure	Anciliary Activities	Total Agriculture (PS)
Crop Loan	Term Loan			
(A)	(B)	(C)	(D)	(E = A+B+C+D)
7334.38	3179.49	519.56	1517.63	12551.06

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र : **(Amt. in Cr.)**

Micro Enterprises	Small Enterprises	Medium Enterprises	Other Finance to MSME	Total MSME
(A)	(B)	©	(D)	(E = A+B+C+D)
3298.58	4599.81	2367.38	728.38	10994.15

अन्य प्राथमिक क्षेत्र : **(Amt. in Cr.)**

Export Credit	Education (PS)	Housing (PS)	Social Infrastructure	Renewable Energy	Other	Total Other Priority Sector
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G = A+B+C+D+E+F)
63.96	738.73	2480.83	371.96	78.68	381.00	4115.16

वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य में **रु. 1049.55 करोड़** की बढ़ोतरी कर वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु वार्षिक ऋण योजना **रु. 27660.37 करोड़** कर दी गयी है।

बिगत 5 वर्षो में वार्षिक ऋण योजना अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य एवं राज्य में ऋण सम्भाव्यता को मध्यनजर रखते हुये वार्षिक ऋण योजना 2022–23 तैयार की गयी है।

- **नाबार्ड द्वारा पत्रांक राबैं.सीपीडी. जीएलसी/643–679/जीएलसी. कॉर./2022–23 दिनांक 14.07.2022 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वित्तीय सेवायें विभाग द्वारा कृषि आधार स्तरीय ऋण लक्ष्य उत्तराखण्ड राज्य हेतु निम्नवत आबंटित किये हैं :**

(Amt. in Cr.)

Banks	Crop Loan	Term Loan	Total
Co-operative Banks	2,033.89	239.27	2,273.16
Regional Rural Banks	1,734.02	271.24	2,005.26
Commercial Banks	7,302.64	7,552.33	14,854.97
All Agencies	**11,070.55**	**8,062.85**	**19,133.40**

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में कृषि क्षेत्र अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य **रु. 12,298.00 करोड़** के सापेक्ष बैंकों द्वारा **रु. 8,839.00 करोड़** की प्रगति दर्ज की गयी है।
- वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र अंतर्गत **रु. 19,133.00 करोड़** का निर्धारित लक्ष्य सदन के सम्मुख चर्चा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।
- नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु PLP में कृषि (Crop loan and Term loan) क्षेत्र अंतर्गत **रु. 12,974.08 करोड़** तथा एस.एल.बी.सी. द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में कृषि (Crop loan and Term loan) क्षेत्र अंतर्गत **रु. 12,551.06 करोड़** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) वार्षिक ऋण योजना 2021–22 एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि :

बिगत 5 वर्षो की वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि :

(Amt. in Cr.)

F.Y.	Crop Loan			Term Loan			Farm Sector			Non Farm Sector (MSME)			Other Priority Sector			Total PSA		
	Target	Achievement	%age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	%age
2021-22	7181	5208	73	5118	3631	71	12298	8839	72	10454	10055	96	3859	2378	62	26611	21272	80
2020-21	7952	4098	52	5271	2396	45	13222	6493	49	8851	8624	97	3721	1177	32	25794	16294	63
2019-20	6806	4920	72	3579	3173	89	10385	8094	78	8031	8372	104	3595	1827	51	22011	18294	83
2018-19	7037	4952	70	3643	2237	61	10681	7189	67	6102	6787	111	3243	2939	91	20026	16915	84
2017-18	6524	5156	79	3225	2400	74	9750	7556	78	4938	5432	110	3781	3593	95	18469	16582	90

- किसानों की आय दोगुना करने हेतु कृषि अनुषंगी गतिविधियों जैसे : दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन एवं मत्स्य पालन हेतु निर्धारित लक्ष्यों में बृद्वि की गयी थी, जिसमें कोरोना काल के कारण वांछित प्रगति दर्ज नही की जा सकी।
- मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन एवं मत्स्य पालन हेतु सम्बन्धित विभाग ऋण आवेदन पत्र प्राप्त कर बैंक शाखाओं को ऑन लाईन प्रेषित करें, जिससे कृषि क्षेत्र अन्तर्गत प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड अनुवर्ती कार्यवाही कर सके।
- अग्रणी जिला प्रबन्धकों को अवगत करा दिया गया है कि अन्य प्राथमिक क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित करते समय गत 05 वर्षो की सम्भाव्यता का आंकलन करें एवं बिगत वर्षो में लक्ष्य प्राप्ति के प्रतिशत को भी ध्यान में रखते हुये जिले का District Credit Plan तैयार करें।
- अग्रणी जिला प्रबन्धकों को अवगत कराया गया है कि Crop loan, Agri loan, term loan, Export credit, Education, Housing, Social infrastructure etc. योजना अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित करने से पूर्व समस्त Stakeholders के साथ चर्चा करें।
- DLRC में District Credit Plan परित करने से पूर्व सम्भाव्यता एवं वास्तवित प्राप्त लक्ष्य का आंकलन करें।
- बिगत 02 वर्षो में राज्य में कोरोना काल के कारण नये शिक्षा सत्र में प्रवेश लेने हेतु शिक्षा ऋण बहुत कम हुआ हैं।
- ज्यादातर विद्यार्थी अपने गृह राज्य की बैंक शाखाओं से ऋण प्राप्त करते है।
- अग्रणी जिला प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया है कि जिले की वार्षिक ऋण योजना बनाते समय, वास्तविक सम्भाव्यता एवं गत 5 वर्षो के ए.सी.पी. के लक्ष्यों की प्राप्ति को ध्यान मे रखा जाय।
- एम.एस.एम.ई क्षेत्र में गत 5 वर्षो के ए.सी.पी. के लक्ष्यों की प्राप्ति 100 प्रतिशत दर्ज की गयी है।
- कृषि क्षेत्र में गत 5 वर्षो के ए.सी.पी. के लक्ष्यों की प्राप्ति 69 प्रतिशत दर्ज की गयी है।

(ग) ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) :

वित्तीय वर्ष 2021–22 की समाप्ति पर राज्य का ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) **52%** है।

(Amt. in Cr.)

Sr.	COMPONENTS	AS ON 31/03/20	AS ON 31/03/21	AS ON 31/03/22
1	Advances from Banks (Within State)	62397	66466	72958
2	Advances from Banks (utilized in the state but sanctioned from outside the State)	10501	10758	9929
3	RIDF	7393	7920	8507
4	Total Advance (1+2+3)	80291	85143	91394
5	Total Deposits	141234	159856	176555
	C.D. Ratio	**57%**	**53%**	**52%**

विगत तीन वर्षो का ऋण जमा अनुपात निम्नवत रहा है : (राशि करोड़ में)

* वित्तीय वर्ष 2021–22 में 52 प्रतिशत। ज़मा राशि रु. 1,76,555.00 ऋण राशि रु. 91,394.00
* वित्तीय वर्ष 2021–22 में ज़मा राशि में 10.44 प्रतिशत एवं ऋण राशि में 7.34 प्रतिशत की बृद्वि वित्तीय वर्ष 2020–21 के सापेक्ष हुयी है।
* वित्तीय वर्ष 2020–21 में 53 प्रतिशत। जमा राशि रु. 1,59,856.00 ऋण राशि रु. 85,143.00
* वित्तीय वर्ष 2020–21 में जमा राशि में 13.18 प्रतिशत एवं ऋण राशि में 6.00 प्रतिशत की बृद्वि वित्तीय वर्श 2019–20 के सापेक्ष हुयी है।
* वित्तीय वर्ष 2019–20 में 57 प्रतिशत। जमा राशि रु. 1,41,234.00 ऋण राशि रु. 80,291.00
* वित्तीय वर्ष 2018–19 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019–20 जमा राशि में 9.20 प्रतिशत एवं ऋण राशि में 3.94 प्रतिशत की बृद्वि हुयी है।

CREDIT DEPOSIT RATIO, TOTAL DEPOSIT & ADVANCE OF 5 YEARS

(Amt in Cr.)

S.R	District	AS ON 31.03.2022			AS ON 31.03.2021			AS ON 31.03.2020			AS ON 31.03.2019			AS ON 31.03.2018		
		Total Deposit	Total Advance	C:D Ratio	Total Deposit	Total Advance	C:D Ratio	Total Deposit	Total Advance	C:D Ratio	Total Deposit	Total Advance	C:D Ratio	Total Deposit	Total Advance	C:D Ratio
1	Dehradun	72179	23490	33	64178	22347	35	55458	20820	38	50209	19625	39	44581	15908	36
2	Uttarkashi	2459	1275	52	2578	1123	44	2161	911	42	2026	853	42	1783	928	52
3	Hardwar	24313	12615	52	22416	12510	56	20605	12252	59	19110	11642	61	17747	10425	59
4	Tehri	5958	1740	29	5845	1632	28	5042	1305	26	4763	1797	38	4256	1087	76
5	Pauri	10159	2614	26	10038	2414	24	8489	1978	23	7962	1866	23	7175	1676	23
6	Chamoli	4112	1218	30	3847	1066	28	3485	929	27	3240	834	26	2903	793	27
7	Rudra Prayag	2284	643	28	2195	545	25	2044	460	23	1973	522	26	1748	489	28
8	Almora	7120	1845	26	6185	1429	23	5715	1286	23	5286	1312	25	4948	1088	22
9	Bageshwar	2185	575	26	2002	520	26	1826	486	27	1680	511	30	1487	440	30
10	Pitboragarh	5167	1856	36	4840	1585	33	4384	1416	32	4021	1285	32	3634	1198	33
11	Champawat	2669	845	32	2506	714	28	2338	618	26	2130	582	27	1883	455	24
12	Nainital	20393	8149	40	17553	7139	41	15774	6532	41	14139	6269	44	13236	5642	43
13	USNagar	17556	16092	92	15674	13443	86	13914	13402	96	12712	12594	99	11076	11293	102

- पहाड़ी जिलों में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने हेतु Credit absorption capacity बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके लिए मूलभूत सुविधायें प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।
- जिला स्तर पर आयोजित DLRC की बैठक में ऋण जमा अनुपात का आंकलन केवल जिले में स्वीकृत एवं वितरित ऋण राशि के आधार पर किया जाता है।
- ऋण–जमा अनुपात 1 प्रतिशत बढ़ाने के लिए (यह मानते हुये कि जमा में कोई बृद्वि न हो) बैंकों को राज्य में व एक वर्ष में रु. 2500 करोड़ का ऋण वितरित करना पड़ेगा, जो कि बैंकों के वार्षिक लक्ष्यों से अधिक है।
- ऋण–जमा अनुपात में बृद्वि करने हेतु बैंकों को AIF, AHIDF, PMFME, PMEGP योजनाओं में ऋण वितरण बढ़ाना होगा।
- राज्य में ऋण–जमा अनुपात में बृद्वि, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के बिना सम्भव नही है।

एजेण्डा संख्या – 3 :

ऋण योजनाओं हेतु वार्षिक लक्ष्य :

ऋण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु संबंधित विभाग द्वारा निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :

क्र.सं.	मद	वार्षिक लक्ष्य 2022–23	
1	एन.आर.एल.एम. (NRLM)	इकाईयों की संख्या	18000*
2	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)	इकाईयों की संख्या SEP (I) SEP (G) SHG Bank Linkage	 1000 17 350
3	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (VCSGSY)	वाहन गैर वाहन कुल योग	150 100 250
4	दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) योजना	लाभार्थियों की संख्या	200
5	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)	मार्जिन मनी लक्ष्य इकाईयों की संख्या	रु. 51.71 करोड 1714
6	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (SCP)	अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अल्पसंख्यक (Minority)	886 100 120
7	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY)	इकाईयों की संख्या	6000
8	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो (MSY-NANO)	इकाईयों की संख्या	10000
9	किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)	इकाईयों की संख्या	337000
10	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME)	इकाईयों की संख्या	578

* Target revised by DFS from 15000 to 18000

उपरोक्त निर्धारित लक्ष्य एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को आवंटित कर दिये गये है।

पर्यटन विभाग को अवगत कराना है कि जिला चमोली में बीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, जोशीमठ, जिला चमोली द्वारा श्री हरीश कपरवाण को वाहन क्रय हेतु दिनांक 16.05.2019 को ऋण वितरित किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक, जोशीमठ, जिला चमोली द्वारा अवगत कराया गया है कि विभाग द्वारा ऋणी को अनुदान राशि न मिलने के कारण ऋणी बैंक का ऋण अदा नही कर रहा है, जिस कारण ऋण खाता एन. पी.ए. होने जा रहा है। अतः विभाग से आग्रह है कि वे अनुदान राशि प्रेषित करने कष्ट करें।

एजेण्डा संख्या – 4 :

ऋण योजनाओं की प्रगति :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति (F.Y. 2021-22) :

Scheme			F.Y. 2019-20			F.Y. 2020-21			F.Y. 2021-22		
			Target	Sanctioned	Progress %	Target	Sanctioned	Progress %	Target	Sanctioned	Progress %
NRLM			7610	8089	106	9740	7644	99	10,000	10,312	103
MUDRA			—	198945	—	—	191061	—	1,90,000	2,03,767	107
SCP	SC		1463	1082	74	732	774	106	805	823	102
	ST		100	96	96	100	70	70	100	105	105
	Minority		225	92	41	177	78	44	150	77	51
	Total		1788	1270	71	1009	922	91	1,055	1,005	95
NULM			1000	797	80	772	1084	140	2,330	1,267	54
PM SVANidhi			—	—	—	25000	9848	39	25000	11400	46
Stand-up India			2198	506	23	2260	409	18	2198	264	12
PMAY	Bank		—	1728	—	3000	1664	—	2000	1075	—
	NHB		—			—	2594	—	---	2834	—
	Hudco		—	230		—	475	—	---	653	—
	Total		—			3000	4733	158	2000	4562	228
PMEGP			1318	1840	140	1326	2627	198	1,714	1,917	112
						Margin Money Target : Rs. 39.77 Cr. Achievement : Rs. 45.19 Cr. (114 %)			Margin Money Target : Rs. 51.71 Cr. Achievement : Rs.34.37 Cr. (66%)		

Update of Central Govt. Flagship Schemes :

Sr.	Scheme Name	As on	Information	Country	Uttarakhand
1	Pardhan Mantri Mudra Yojna (PMMY)	24/06/22	Mudra Sanctioned Accounts	35,85,70,911	22,14,659
			Sanctioned Amount (Rs. In Cr.)	19,58,263.58	19,096.00
			Disbursed Amount (Rs. In Cr.)	19,02,037.90	18,396.00
2	Stand-up India	03/07/22	Total No. of Loan Accounts	1,41,402	2347
			Sanctioned Amount (Rs. In Cr.)	31,739.73	516.28

Comparitive performance of Uttarakhand State Flagship Schemes (per lakh population) with National average

Sr.	Scheme Name	Parameter	Uttarakhand	Country
1	MUDRA	MUDRA Accounts sanctioned per lakh population	21,957	29,613
		Average ticket size for MUDRA accounts sanctioned (in Rs.)	86,225.51	54,613
2	Stand-Up India	SUPI Accounts sanctioned per lakh population	23	12
		Average ticket size for SUPI accounts sanctioned (Rs. In lakh)	22.00	22.44

(Source : DFS)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) :

प्रधान कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के परिपत्र संख्या PMEGP/Policy/2022-23 दिनांक 01.06.2022 के अनुसार संशोधित दिशा–निर्देशानुसार निम्नवत हैं :

- पीएमईजीपी योजना वर्ष 2025–26 तक संचालित रहेगी।
- विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की कुल लागत रु. 25.00 लाख को बढ़ाकर रु. 50.00 लाख कर दिया गया है।
- सेवा क्षेत्र में परियोजना की कुल लागत रु. 10.00 लाख को बढ़ाकर रु. 20.00 लाख कर दिया गया है।

पी.एम. स्वनिधि (PMSVANidhi) :

- पी.एम. स्वनिधि सपोर्ट टीम द्वारा ई–मेल के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पी.एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत ई–केवाईसी हेतु बैंक शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की संख्या बहुत अधिक है। इस विषयक बैंक पी.एम. स्वनिधि लाभार्थीयों को अवगत करायें कि https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ or https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Login/EKYC पोर्टल पर अपनी सहमति/केवाईसी दर्ज करें। तत्पश्चात ऋण आवेदन पत्र स्वतः 2nd Tranche हेतु पात्र होंगे तथा बैंक तदनुसार ऋण स्वीकृत एवं वितरित कर सकते हैं।
- मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशानुसार 2nd & 3rd Tranch हेतु "Not Interested" का आप्शन हटा दिया गया है, अतः अब ऋण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में निरस्त नही किये जा सकते हैं।
- इस संदर्भ में भारतीय स्टेट बैंक के Loan Orginating Software (LOS) में 567 से सिबिल स्कोर कम होने पर No Go हो जाता है।
- 1st tranch में 90 दिन overdue होने के कारण पी.एम. स्वनिधि खाता एन.पी.ए. वर्गीकरण किया जाता है तथा सिबिल खराब होने के कारण आवेदक को 2nd tranch का ऋण नही दिया जा सकता है।

Update on Central Government Flagship Schemes :

Sr. No.	Scheme Name	As on	Information	Country	Uttarakhand
1	PM SVANidhi	26/06/22	No. of Accounts Sanctioned	36,30,961	12,467
			No. of Accounts disbursed	32,93,643	11,356

Comparitive performance of Uttarakhand State Flagship Schemes (per lakh population) with National Average :

Sr.	Parameter	Uttarakhand	Country
1	PM SVANidhi Accounts sanctioned per lakh population	124	300

(**Source :** DFS)

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति (F.Y. 2021-22) :

Scheme			F.Y. 2019-20			F.Y. 2020-21			F.Y. 2021-22		
			Target	Sanctioned	Progress %	Target	Sanctioned	Progress %	Target	Sanctioned	Progress %
VCSGSY	Vehicle		147	140	95	147	137	93	150	117	78
	Non Vehicle		153	53	35	153	60	39	100	56	56
Home Stay			---	115	---	---	128	---	200	125	62
MSY			NA	NA	NA	1500	3866	258	5100	5583	109
MSY - NANO			NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	1024	---
MSSY			NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	122	---

संबन्धित विभाग से आग्रह है कि योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रयाप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को पोर्टल में दर्ज कर प्रेषित करें।

बैंकों से आग्रह है कि वे अपनी शाखाओं को निर्देशित करें कि योजना अंतर्गत ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण पोर्टल पर आवश्यक रुप से दर्ज करें।

राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं विषयक जानकारी एस.एल.बी.सी. को दी जाती है। एस.एल.बी.सी. बैंकों से उनके कार्पोरेट कार्यालय से योजना स्वीकृत कराने एवं Product Code जारी करने का आग्रह करता है। बैंक नियंत्रकों से आग्रह है कि वे राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनओं अंतर्गत दिशानिर्देश अपनी शाखाओं को जारी करें।

एजेण्डा संख्या – 5 :

स्वामित्व योजना :

(Survey of village and mapping with improvised technology in village area)

उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली–2020 के अधीन तैयार ग्रामीण आबादी स्वामित्व अभिलेख प्रारुप–9 को अनुसूचित बैंकों द्वारा सम्बन्धित हितबद्व व्यक्ति/लाभार्थी द्वारा बैंकों में वित्तीय परिसम्पत्ति के रुप में बंधक करते हुये ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में :–

- पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित स्वामित्व योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 24.04.2020 को आरम्भ की गयी है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की आबाद भूमि का ड्रॉन सर्वे टेक्नोलॉजी द्वारा सीमांकन करना है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे नागरिकों को उनकी आवासीय/अचल सम्पत्ति के ऐवज में बैंक ऋण प्रदान कर उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना हैं।
- पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैंकों को सुझाव दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समभाव्यता के दृष्टिगत आवासीय/अचल सम्पति का सम्पार्श्विक के रुप में उपयोग किया जा सकता है।
- वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक 6/30/2021-FI (C-509718) दिनांक 01.11.2021 के माध्यम से एस.एल.बी.सी. को अवगत कराया गया है कि स्वामित्व विषयक समस्त सदस्य बैंकों, राज्य सरकार एवं अन्य स्टेक होल्डर्स से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही की जाय।
- एस.एल.बी.सी. द्वारा ई–मेल के माध्यम से दिनांक 12.05.2022, 20.05.2022 एवं 06.06.22 को इस विषयक समस्त सदस्य बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने कार्पोरेट कार्यालय/विधिक विभाग से इस संदर्भ में जानकारी प्रदत्त करें कि मात्र स्वामित्व विलेख से साम्यिक बन्धक (Equitable Mortgage) करने के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी/दिशा–निर्देश प्राप्त करें।

राजस्व विभाग से निम्नवत जानकारी प्राप्त हुयी है :

- "सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 58(एफ) के अनुसार स्वत्वपत्रों के निक्षेप द्वारा सृजित बन्धन (Deposit of Title Deed) रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र द्वारा किया जाना अनिवार्य नही है, जैसा कि अन्य प्रकार के बन्धकों के लिये आवश्यक है। इस प्रकार बन्धक केवल स्वत्वपत्रों को जमानत के रुप में ऋणदाता को सौंप देने से सृजित हो जाता है। स्वत्वपत्रों के निक्षेप (Deposit of Title Deed) द्वारा सृजित बन्धक पर भारतीय स्टॉम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1–बी के अनुच्छेद 6 के अन्तर्गत स्टॉम्प "शुल्क प्रभार्य है"।
- उक्त विषयक के सम्बन्ध में राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक 310/IV–01/रा0प0/2021–22 दिनांक 25.04.22 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली–2020 के अधीन तैयार ग्रामीण आबादी "स्वामित्व अभिलेख" प्रारुप–9, भू–राजस्व अधिनियम, 1901 द्वारा विधिमान्य है, इस निमित वर्तमान समय में स्वामित्व योजना अंतर्गत तैयार ग्रामीण आबादी स्वामित्व, अभिलेख प्रारुप–9 को अनुसूचित बैंकों द्वारा सम्बन्धित हितबद्व व्यक्ति/लाभार्थी द्वारा बैंकों में अपनी वित्तीय परिसम्पत्ति के रुप में बंधक रखते हुये ऋण प्राप्त कर सकता है, जिसका अंकन संबन्धित अभिलेख के कॉलम नम्बर–22, अभ्युक्ति के रुप में दर्ज किया जायेगा।
- उपरोक्त विषयक राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड से प्राप्त जानकारी समस्त बैंकों को दिनांक 04.05.2022 को प्रेषित कर दी गयी थी तथा उनसे अपने विधि विभाग की राय मांगी गयी थी कि इस योजना में अधिवक्ता द्वारा 13 वर्ष की Title Investigation Report (TIR) बनाये जाने की आवश्यकता है अथवा नही ? उक्त विषयक सूचना बैंकों से प्रतीक्षित है।
- उक्त योजना अंतर्गत ऋण प्रदान करने हेतु बैंकों को उनके कार्पोरेट कार्यालय से शाखाओं के लिए सर्कुलर आदेश तथा योजना के लिए एक Product Code बनाये जाने की आवश्यकता है।

एजेण्डा संख्या – 6 :

किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना :

भारत सरकार के वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर बैंकों द्वारा निम्नवत ऋण वितरित किए गए हैं :

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	मद	कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण खातों की संख्या	कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण राशि
1	डेयरी	20493	840.66
2	मुर्गी पालन	657	35.04
3	भेड़/बकरी/सुअर पालन	7319	94.60
4	प्लांटेशन एवं बागवानी	221	3.54
5	मत्स्य पालन	25	0.84
6	फूड एवं एग्रो प्रोसेसिंग	505	45.35
7	स्टोरेज गोदाम	15	3.66
8	जल संसाधन	15	0.23
9	भूमि विकास	2981	21.27
10	कृषि यंत्रिकरण	2568	115.15
11	अन्य (कृषि सम्बन्धी क्रियाकलाप)	124777	2156.64
	कुल योग	**159576**	**3316.99**

- वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर बैंकों द्वारा **159576** खाताधारकों को कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु रु. **3316.99 करोड़** का ऋण वितरित किया गया है।
- बैंकों से प्रदत्त सूचना के अनुरुप अन्य कृषि सम्बन्धित क्रियाकलाप में मियादी ऋण (Term Loan) के अंतर्गत Agri loan for Mules, Women SHG-NRLM (Other), AGRI-SHG-Direct, Joint Liabilty Group, तथा मांग ऋण (Demand Loan) के अंतर्गत Agri Gold Loan बैंकों द्वारा प्रदान किये जाते हैं, जिससे किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है।
- कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कृषकों को वितरित गृह ऋण, माइक्रो फाइनेंस, ट्रैक्टर ऋण व बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र की विभिन्न अनुषंगी गतिविधियों हेतु बनायी गयी ऋण योजनाओं में दिए गए ऋण शमिल हैं।
- मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन एवं मत्स्य पालन हेतु सम्बन्धित विभाग ऋण आवेदन पत्र प्राप्त कर बैंक शाखाओं को ऑन लाईन प्रेषित करें, जिससे कृषि क्षेत्र अन्तर्गत प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड अनुवर्ती कार्यवाही कर सके।
- पशुपालन, मत्स्य पालन, मौन पालन, रेशम कीट पालन एवं बागवानी के अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाओं में किसानों को ऋण प्रदान कर किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है। बैंकों से आग्रह है कि वे किसानों की आय दोगुनी करने हेतु निम्नलिखित योजनाओं में ऋण प्रदान करें :

(क) कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund) :

वित्तीय वर्ष 2021–22 की समाप्ति पर योजना अंतर्गत निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी :

(राशि करोड़ में)

वित्तीय लक्ष्य (वर्ष 2020–22)	प्राप्त ऋण आवेदन पत्र		स्वीकृत		वितरित		निरस्त	लम्बित
धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	संख्या
157.01	177	107.77	48	30.43	23	11.14	43	86

(Source of Data : Directorate Agr.)

कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रु. 156.99 करोड़ का बजट निर्धारित है।

राज्य स्तर पर Project Management Unit (PMU) का गठन किया जाना अपेक्षित है।

एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा कृषि अवसंरचना निधि (AIF) योजना अंतर्गत प्रगति रिपोर्ट समस्त बैंकों को प्रेषित कर दी गयी थी तथा उनसे आग्रह किया गया था कि वे लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण कर पोर्टल में दर्ज करें।

(ख) <u>प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME)</u> :

- योजना का लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा निजी सूक्ष्म उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाना और क्षेत्र के फार्मलाईजेशन को प्रोत्साहन देना तथा किसान उत्पादक संगठनों, स्वंय सहायता समूहों और उत्पादक सहकारिताओं (FPOs /SHGs/ Producer Co-operatives) को सहायता प्रदान करना है।
- आवेदक ने यदि किसी अन्य सरकार प्रायोजित ऋण योजना अंतर्गत सब्सीडी प्राप्त की है तथा आवेदक का ऋण खाता स्टेन्डर्ड है, तो वह व्यक्ति PMFME योजना अंतर्गत ऋण हेतु आवेदन कर सकता है।
- योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 578 इकाईयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- अब योजना अंतर्गत प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों को State Level Approval Committee (SLAC) द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

<u>योजना की विशेषतायें</u> :

- योजना अंतर्गत नई/पुरानी इकाईयों (Individual and Groups) को भी गैर ODOP उत्पाद के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।
- योजना अंतर्गत (Individual) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिए परियोजना लागत का 35 प्रतिशत Credit Linked Capital Subsidy अथवा अधिकतम रु. 10 लाख प्रति यूनिट देय है। मार्जिन मनी 10 प्रतिशत है।
- PMFME योजना अंतर्गत रु. 10.00 लाख तक के ऋण, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के नियम एवं शर्तों के अनुसार स्वीकृत किये जांय तथा सम्पार्श्विक प्रतिभूति न ली जाय।

PMFME योजना अंतर्गत निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी :

(राशि करोड़ में)

प्रगति	प्राप्त ऋण आवेदन पत्र	स्वीकृत		वितरित		निरस्त	लम्बित
	संख्या	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	संख्या
वित्तीय वर्ष 2021–22	90	19	2.36	4	0.21	13	58
30.06.2022 तक प्रगति	192	30	3.76	...	...	99	63

(Source of Data : Directorate Agr.)

एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) अंतर्गत प्रगति रिपोर्ट समस्त बैंकों को प्रेषित कर दी गयी थी तथा उनसे आग्रह किया गया था कि वे लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण कर पोर्टल में दर्ज करें।

(ग) <u>किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता अभियान (KCC saturation Campaign)</u> :

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभान्वित किसान, जिन्हे किसान क्रेडिट कार्ड जारी नही किये गये हैं, ऐसे किसानों को पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन गतिविधियों में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हेतु के.सी.सी. जारी करने तथा अधिकतम किसानों को लाभान्वित करने हेतु KCC Saturation Drive चल रहा है।

(i) **KCC – Animal Husbandry** :

मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्य में पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने हेतु के.सी.सी. संतृप्तता अभियान दिनांक 15.11.2021 से 31.07.2022 तक चलाया जा रहा है, जिसकी प्रगति निम्नवत है :

Progress as on 30.06.2022 :

No. of applications received	No. of applications Accepted	No. of applications Sanctioned	Applications Rejected / Returned	Applications Pending
12933	12652	4699	6252	1701

(Source of Data :– Jan Suriksha portal)

(ii) **KCC – Fisheries** :

Progress as on 30.06.2022 :

No. of applications received	No. of applications Accepted	No. of applications Sanctioned	Applications Rejected / Returned	Applications Pending
321	320	174	85	61

(Source of Data :– Jan Suriksha portal)

- एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा विभाग से आग्रह किया गया है कि पशुपालकों/मत्स्यपालकों के निर्धारित फार्म पूर्ण करा कर अग्रणी जिला प्रबन्धक को उपलब्ध करायें, ताकि वे जन–सुरक्षा पोर्टल में डाटा अपलोड कर सकें।
- विभाग (पशुपालन/मत्स्यपालन), वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के द्वारा बनायी गयी SOP का अनुपालन करें, जिससे ऋण आवेदन पत्रों की संख्या का मिलान हो सके।

Update of Central Govt. Flagship Schemes :

Sr.	Scheme Name	As on	Information	Country	Uttarakhand
1	KCC	01/07/22	No. of KCC	3,26,02,309	5,84,431
			Limit Sanctioned (Rs. In Cr.)	3,72,183.28	5,580.31

Comparitive performance of Uttarakhand State Flagship Schemes (per lakh population)

Sr.	Parameter	Uttarakhand	Country
1	KCC Accounts sanctioned per lakh population	5,794	2,693
2	Average ticket size for KCC accounts sanctioned (in Rs.)	95,483	1,14,158

(**Source :** DFS)

(घ) Enhancing Credit Flow to Agriculture and Allied Sector through Credit Guarantee Scheme :

(i) AHIDF Scheme of DAHD, GoI :

(Animal Husbandary Infrastructure Development Fund Scheme of Department of Animal Husbandary & Dairying)

- मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पशुपालन ढांचागत विकास फण्ड योजना वर्ष 2020–21 से प्रारम्भ की गयी है। योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उद्यमियों, एफ.पी.ओ., निजी कम्पनियों, एम.एस.एम.ई. को निवेश के लिए पशुपालन क्षेत्र में संसाधन एवं मूल्य वर्धन (processing and value addition) हेतु बैंकों द्वारा योग्य परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु ऋण प्रदान करना है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा रु. 15,000 करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज फण्ड घोषित किया गया है।
- योजना अंतर्गत निम्न लिखित गतिविधियां स्थापित करने हेतु ऋण सुविधा प्रदान की जाती है :

(a) Dairy processing & value addition infrastructure.
(b) Meat processing & value addition infrastructure.
(c) Establishment of animal feed plant.
(d) Breed improvement technology and breed multiplication farm.

- उक्त योजना विषयक यह निर्णय लिया गया था कि योजना की अधिसूचना की तिथि से पूर्व, जिन संस्थाओं को वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है, ऐसी योग्य संस्थायें भी AHIDF के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य में अब तक 02 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं।

- **National Livestock Mission 2021 :**

The department of Animal Husbandry & Dairy Govt. of India is implementing the scheme of National Livestock Mission (NLM) since the F.Y. 2014-15. In view of the present need of sector the NLM scheme has been revised and realigned from 2021-22. The revised scheme of NLM aim towards employment generation, increase in per animal productivity, entrepreneurship development and thus targeting increased production of meat, goat milk, egg and wool under umbrella scheme development programme.

There are 3 submission :

1. Sub mission on breed Development of Livestock and Poultry.
2. Sub mission on feed and fodder development.
3. Sub mission on Innovation on Extension Application can be submit on nlm.udhyamimitra.in

State Implementing Agency (SIA) is Uttarakhand Livestock Development Board, Pashudhan Bhawan Mothrowala Road, Dehradun.

Till date ULDB has received 40 application from diffirent district of Uttarakhand as per scheme check list, ULDB made 13 application SIA digible banks as follow :

SBI	PNB	Central Bank of India	Union Bank of India	UGB	DCB Pithoragarh	HDFC
4	3	2	1	1	1	1

(ii) Central Sector Scheme (CSS) :

- भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी उक्त योजना अंतर्गत कृषक उत्पाद संगठन (FPOs) तैयार किये जाने हैं, जिससे कृषकों को उनके उत्पाद को बाजार एवं उचित मूल्य प्राप्त हो सके।
- AHIDF एवं CSS योजना अंतर्गत एफ.पी.ओ. बनाने हेतु रु. 10.00 लाख से अधिक के ऋण पर क्रेडिट गारंटी संरक्षण प्राप्त होगा, जिससे बैंक उक्त योजना अंतर्गत वित्तपोषण हेतु प्रोत्साहित होंगे। योजना के दिशा निर्देशानुसार क्रेडिट गारंटी संबधित औपचारिकतायें का कार्य नाबार्ड को सौंपा गया है।
- AHIDF एवं CSS योजनाओं में क्रेडिट गारंटी संरक्षण के प्रबन्धन हेतु NABSanrakshan Trustee Pvt. Ltd. कम्पनी स्थापित की गयी है, जो कि क्रेडिट गारंटी का प्रबंधन करेगी। भारत सरकार उक्त दोनो योजनाओं में क्रेडिट गारंटी settlor की भूमिका निभायेगी।
- योजना अंतर्गत बैंकों को ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से शामिल करने हेतु नवसंरक्षण प्रारम्भ किया गया है। एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त बैंकों को सूचित किया गया है कि पोर्टल के निम्नवत लिंक में रजिस्टर करें :

a) AHID Link b) FPO Link

(ङ) कृषि ऋण पर स्टाम्प शुल्क में छूट :

उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–9 संख्या 2017/XXVII(9)/स्टाम्प–55/2009 दिनांक 12 अप्रैल, 2017 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, शासन की अधिसूचना संख्या160/2016/XXVII(9)/स्टाम्प–55/2009, दिनांक 30 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी 05 वर्ष अर्थात् **दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 तक** रु. 5,00,000.00 (रु. पांच लाख मात्र) तक के कृषि सम्बन्धी क्रिया–कलापों के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

दिनांक 24.05.2022 को ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में उक्त विषयक चर्चा की गयी थी। शासन से उक्त छूट की अवधि विषयक सूचना प्रतीक्षित है।

कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं के मुख्य बिन्दु :

- पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे एवं सीमान्त किसानों की भूमि जोत छोटी–छोटी है, जो कि अलग–अलग क्षेत्रों में स्थित हैं।
- अनिश्चित मौसम स्थिति, भूस्खलन, बीजों की अनुपलब्धता, चारे की कमी, परिवहन एवं मार्केटिंग की समस्या, बाजार की जानकारी की कमी, उचित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने में कठिनाईयों के कारण आर्थिक रुप से व्यवहार्य व्यवसाय के रुप में खेती के आकर्षण को कम कर दिया है।
- छोटे एवं सीमान्त किसान कम लागत का लाभ प्राप्त करने, उत्पाद का अधिकतम मूल्य अपने फार्म गेट पर प्राप्त करने के लिए और अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने में सक्षम नही हैं।
- वाणिज्यिक या नकदी फसल उत्पादन में बहुत ही नगण्य अनुपात में योगदान करती हैं।
- राज्य में पानी की अत्यधिक उपलब्धता के बावजूद, स्थानीय लोगों के लिए पीने, घरेलू उपयोग और सिंचाई के लिए पानी की कमी है।
- पहाड़ी क्षेत्र में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत कम है, जो कि वर्षा पर निर्भर है।
- पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों का खतरा कृषि के लिए एक बड़ी चुनौती है।
- पहाड़ी क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन बढ़ने के कारण, कृषि विकास एक चुनौती बन गया है तथा पहाड़ी एवं मैदानी जिलों के मध्य असंतुलन की स्थिति बनी हुयी है।
- जलवायु परिवर्तन और प्रकृति की अनिश्चितता, आय की अनिश्चितता को बढ़ाती है।

कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान की व्यापक रणनीति :

- जीवन यापन हेतु कृषि क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता है, जिसके तहत उद्यान, सुगंधित एवं औषधीय पौधे, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन एवं मशरुम उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- उद्यान उत्पादन में फल, सब्जी, आलू, मसाले एवं फूलों का उत्पादन किया जा सकता है।
- कृषकों को फसल बीमा हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे क्षतिपूर्ति सम्भव हो सके।

(च) भूलेख पोर्टल :

उत्तराखण्ड राज्य में समस्त जिलों की खसरा खतौनी भू–लेख पोर्टल पर दर्ज कर दी गयी है। भूमि का नक्शा बनाने का कार्य राज्य के दो जिलों (अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल) में पूर्ण हो गया है तथा अवशेष जिलों में कार्य प्रगति पर है।

(छ) नाबार्ड के लक्ष्य :

District-wise physical targets :

Sr. No.	District	SHGs Saving Linkage Targets for 2022-23	SHGs Credit Linkage Targets for 2022-23	JLGs Financing Targets for 2022-23
1	Almora	700	869	6000
2	Bageshwar	150	221	2500
3	Chamoli	1000	1386	5000
4	Rudraprayag	450	447	2500
5	Dehradun	900	900	75000
6	Haridwar	1400	2375	75000
7	Nainital	1200	1697	75000
8	Pauri Garhwal	1700	1722	8000
9	Pithoragarh	600	764	8000
10	Champawat	300	363	4000
11	Tehri Garhwal	1000	1118	8000
12	US Nagar	1800	2338	75000
13	Uttarkashi	800	800	6000
Total No. of Programs		**12000**	**15000**	**350000**

ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों (वीएलपी) का संचालन :

नाबार्ड ने अपने पत्रांक रावै.उत्तराखंड/849/एमसीआईडी/विविध/2022–23 दिनांक 11.07.2021 के माध्यम से अवगत कराया है कि वित्तीय समावेशन जागरुकता को बढावा देने, बैंकरों–स्वयं सहायता समूहों के बीच इंटरफेस को बढ़ाने और एसएचजी–बीएलपी का और मजबूत करने के उद्देश्य से ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों (वीएलपी) को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों की शाखाओं के माध्यम से सभी 13 जिलों में आयोजित किए जा सकते हैं। बैंकों का इसके लिए नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नाबार्ड द्वारा इस उद्देश्य के लिए रु. 2000/– प्रति वीएलपी की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

एजेण्डा संख्या – 7 :

(क) योजनावार एन.पी.ए. :

(Amt. in Crores)

As on 31st MARCH, 2022

S. No.	NAME OF SCHEME	Total Outstanding		Gross NPA		Gross NPA%
		No.	Amount	No.	Amount	
1	PMEGP	12160	384.87	1748	36.68	9.53
2	SCP	4671	41.51	505	3.27	7.87
3	VCSGSY	2564	157.69	596	22.64	14.36
4	NULM	2928	32.40	406	3.81	11.77
5	NRLM	13715	60.58	435	2.68	4.42
6	Mudra	380633	3698.73	41805	460.98	12.46
7	Stand Up India	1398	256.90	219	31.80	12.38

(Amt. in Crores)

As on 31st MARCH, 2021

NPA POSITION OF GOVT. SPONSORED SCHEME as on 31st MARCH, 2021						
S. No.	NAME OF SCHEME	Total Outstanding		Gross NPA		Gross NPA%
		No.	Amount	No.	Amount	
1	PMEGP	7150	250-71	1006	19.77	7.89
2	SCP	5333	53.14	571	4.30	8.11
3	VCSGSY	2539	174.70	471	25.27	14.46
4	NULM	2566	44.80	320	3.18	7.09
5	NRLM	11086	53.16	701	2.81	5.28
6	Mudra	349415	3478.48	23269	320.25	9.21
7	Stand Up India	1545	231.36	130	20.37	8.80

- वित्तीय वर्ष 2020–21 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभिन्न योजनाओं अंतर्गत एन.पी.ए. में निम्नानुसार बृद्वि हुयी है :
  PMEGP - 1.64%, NULM - 4.68%, MUDRA - 3.25%, Stand-up India - 3.58%
- बैंकों में एन.पी.ए. की स्थिति चिन्ताजनक है तथा बैंकिंग को संपोषणीय (sustainable) बनाने हेतु बैंक के एन. पी.ए. खातों में वसूली हेतु सार्थक प्रयास किये जांय, जिससे कि बैंक शाखायें सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में ऋण वितरण हेतु उत्साहित हों।
- बैंक स्थानीय स्तर पर प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुये बैंक के एन.पी.ए. कम करने का प्रयास करें। बैंक तहसील से आर.सी. का मिलान करें तथा ऋण राशि की वसूली करने हेतु अमीनों से सहयोग प्राप्त करें।
- एन.पी.ए. खातों की तहसील में आर.सी. फाईल करें और अनुवर्ती कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- एन.पी.ए. खातों में यदि सम्पार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) उपलब्ध है, तो बैंक ऋण वसूली की प्रक्रिया हेतु 13 (2) और 13 (4) के तहत कार्यवाही करें।
- जिले के जिला अधिकारी से आग्रह है कि सम्पार्श्विक प्रतिभूति का भौतिक कब्जा लेने हेतु बैंकों को सुरक्षा बल प्रदान करें।

दिनांक 31 मार्च, 2022 को राज्य में बैंकों का एन.पी.ए. **5.60** प्रतिशत है।

ख) लम्बित वसूली प्रमाण पत्र (R.C.) :

(Amt. in Cr.)

	RCs Pending								Total RCs Pending	
	Less than 1 Year		1 Year to 3 Years		1 Year to 5 Years		More than 5 Years			
	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
F.Y. 2021-22	9585	147.93	15610	290.67	3711	52.56	3659	38.54	32565	529.70
F.Y. 2020-21	7104	108.53	10850	178.69	4684	55.19	3900	42.94	26538	385.35

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्रांक 57/सी.एम.आर.(05)/सं.वि.प्र./2021 दिनांक 19 फरवरी, 2021 के माध्यम से समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे जिला प्रशासन स्तर पर लम्बित ऋण वसूली प्रमाण पत्रों में वसूली हेतु नियमानुसार यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक राजस्व विभाग से समन्वय कर लम्बित रिकवरी सर्टिफिकेट (आर.सी.) अन्तर्गत वसूली में बैंको का सहयोग करें।

एजेण्डा संख्या – 8 :

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs) :

(i) Performance of RSETIs :

As on	Target		Achievement			Out of Settled		Out of Settled under Self Employment		% of Settlement & Credit Linkage	
	No. of Programmes	No. of Candidates	No. of Programmes Conducted	No. of Candidates Trained	No. of Candidates Settled	Self Employment	Wage Employment	With Bank Finance	With Self Finance	% of Settled to Trained	% of Credit Linkage to Self Employment
31.03.22	266	6715	233	6258	4414	4407	07	3162	1345	71	72
31.03.21	266	6895	238	6383	3346	---	---	---	----	---	----

(Source of Data : Director RSETIs)

वित्तीय वर्ष 2021–22 में आरसेटी संस्थानों द्वारा **233** प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें **6258** प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त **4414** प्रशिक्षणार्थी settled हुये हैं। **3162** प्रशिक्षणार्थियों ने बैंकों से ऋण प्राप्त कर व्यवसाय प्रारम्भ किया है तथा **1345** प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं के साधनो से अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया गया है।

(iii) Reimbursement of Training Expenses :

(Amt. in lacs)

Sr. No.	RSETIs	Pending Claims		Total
		2020-21	2021-22	
1	Nainital	---	9.08	9.08
2	US Nagar	---	6.57	6.57
3	Haridwar	---	7.05	7.05
4	Almora	---	5.32	5.32
5	Bageshwar	---	9.71	9.71
6	Chamoli	---	7.46	7.46
7	Champawat	---	9.17	9.17
8	Pauri	---	13.80	13.80
9	Pithoragarh	5.64	8.74	14.38
10	Rudraprayag	---	11.29	11.29
11	Uttarkashi	---	10.93	10.93
Grant Total		**5.64**	**99.12**	**104.76**

(Source of Data : Director RSETIs)

(ii) **RSETIs Building Status :**

Sr.	RSETI	Sponsored Bank	Remarks
1	Almora	SBI	RSETI functioning in its own building
2	Pauri	SBI	RSETI functioning in its own building
3	US Nagar	BOB	RSETI functioning in its own building
4	Bageshwar	SBI	RSETI functioning in its own building. Some civil works are pending.
5	Champawat	SBI	Construction of 1st floor done.
6	Haridwar	PNB	Building Structure completed and work is not in progress since last two years. Matter is pending with PNB Head Office.
7	Dehradun	PNB	Land allotted to RSETI has been demarcated, but the passage to reach the land is not marked.
8	Uttarkashi	SBI	Land allotted and construction work of building is to be done. CSR fund awaited from Corporate Centre.
9	Nainital	BOB	Building map approved by DLDA on 05.03.2022. Construction work is yet to be started. L-1 Contractor is finalized for construction of building. Contractor is demanding rate escalation due to increase in material cost. Bank is following up with the contractor to start the construction work.
10	Pithoragarh	SBI	Land allotted and construction work of building is to be done. Proposal pending at SBI, P & E Department, LHO New Delhi. CSR Fund for Rs. 2.00 Crore received.
11	Rudraprayag	SBI	Land allotted and construction work of building is to be done. Matter pending at SBI, P & E Department, LHO New Delhi. CSR Fund Rs. 3.60 Crore received from Corporate Centre.
12	Tehri	SBI	CSR Fund for Rs. 2.17 Crore received. Architecture has been appointed. Tendering process is pending at SBI, P & E Department, LHO New Delhi.
13	Chamoli	SBI	Tender floated for Civil work but no vendor turned up. Revise estimate is being prepared by SBI, P & E Department, LHO New Delhi.

(Source of Information : Director RSETIs)

- प्रायोजित बैंकों से आग्रह है कि वे आरसेटी भवन के निर्माण कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करें, जिससे कि आरसेटी प्रशिक्षण में सुविधा हो।
- ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन से अनुरोध है कि वे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) द्वारा प्रशिक्षण पर किये गये व्यय की लम्बित राशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विभागों से कराने की कृपा करें।

एजेण्डा संख्या – 9 :

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) :

- प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) तथा पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को मौसम खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 से 03 वर्ष हेतु लागू किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गयी थी।
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मौसम खरीफ 2022 में लागू करने सम्बन्धी राज्य अधिसूचना जारी कर दी गयी है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया को अधिकृत किया गया है।
- संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल चावल एवं मण्डुवा उगाने वाले कृषक, जिन्हे वित्तीय संस्थानों से दिनांक 15.07.2022 तक फसली ऋण स्वीकृत किया गया है तथा ऋण खाता दिनांक 01.04.2022 से 15.07.2022 के मध्य क्रियाशील है, को बीमा से आच्छादित किया जायेगा, जब तक कि कृषक द्वारा ऑप्ट आउट फार्म प्रस्तुत नही किया गया हो। अऋणी कृषक भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कृषक के खाते से प्रीमियम राशि कटौती की अन्तिम तिथि 15.07.2022 है। बैंकों द्वारा भुगतान गेटवे (PayGov) के माध्यम से प्रीमियम राशि भेजने तथा फसल बीमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर बीमा सम्बन्धित सूचना/entry करने की अन्तिम तिथि 30.07.2022 है। एस.एल.बी.सी. द्वारा इस विषयक सूचना समस्त बैंकों को प्रेषित कर दी गयी है।

Coverage details under PMFBY Kharif 2022 till 19.07.2022 :

District Name	Loanee	Non Loanee	Total Farmer	Area Insured	Farmer Share	Sum Insured (in Lacs)
Pauri	152	3903	4055	237.23	205350	102.67
Tehri	928	3806	4734	376.09	384939	192.47
Almora	1215	3030	4245	339.96	330632	165.32
Pithoragarh	833	2022	2855	391.54	339073	169.53
Bageshwar	1069	1482	2551	166.96	146488	73.24
Champawat	232	1463	1695	130.98	134085	67.04
Dehradun	3566	1240	4806	716.26	962596	481.30
Uttarkashi	752	1177	1929	402.78	607526	303.76
Haridwar	900	617	1517	194.74	334155	167.07
Chamoli	83	554	637	52.14	47144	23.57
Rudraprayag	314	347	661	327.42	291157	145.57
Nainital	1171	166	1337	308.84	458715	229.35
US Nagar	2212	16	2228	1328.95	2537080	1268.54
Total	**13427**	**19823**	**33250**	**4973.89**	**6778941**	**3389.52**

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पाठशाला जनवरी, 2022 से अगस्त, 2022 तक समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पंचायती राज व बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा फसल बीमा योजना की जानकारी किसानों को प्रदान की जा रही है।
- 24 अप्रैल, 2022 से 01 मई, 2022 तक भारत सरकार के निर्देशानुसार फसल बीमा पाठशाला की स्पेशल ड्राइव कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पंचायती राज, बीमा कम्पनी एवं बैंक शाखाओं द्वारा चलायी गयी है।
- मौसम खरीफ 2022 में 01 जुलाई से 07 जुलाई, 2022 तक फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त जिलों में योजना के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार प्रसार वाहन चलाया गया। फसल बीमा सप्ताह में प्रत्येक तहसील/ब्लाक में कृषि विभाग, उद्यान विभाग व ए.आई.सी. द्वारा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया।
- सभी पात्र ऋणी किसान अपनी संसूचित फसलों का बीमा समयानुसार अपनी बैंक शाखा से करवा सकते हैं।
- अऋणी किसान योजना के अंतर्गत नजदीकी CSC/Crop Insurance app/PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in) द्वारा आवश्यक प्रस्ताव पत्र के साथ आधार कार्ड, भूमि सम्बन्धित दस्तावेज (खतौनी) एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा प्रीमियम राशि जमा कराकर अपनी संसूचित फसल का बीमा करवा सकते हैं।

Agriculture Insurance Co. of India Ltd. & S.B.I. General Insurance Co. Ltd. द्वारा फसल बीमा योजनाओं अंतर्गत दर्ज प्रगति का विवरण निम्नवत है :

Progress as on 31.03.2022

(Amt. in lacs)

Scheme	Total Crop Loan Disbursed	Crop Loan Insured for notified crops	No. of Farmers Insured	Premium Collected	Claim Disbursed	Farmers Benefited
PMFBY	520821.70	12540.59	46929	224.98	226.26	10778
RWBCIS	---	33907.83	64618	1819.79	8281.97	70298
Total		**46448.42**	**111547**	**2044.77**	**8508.23**	**81076**

Progress as on 31.03.2021

(Amt. in lacs)

Scheme	Total Crop Loan Disbursed	Crop Loan Insured for notified crops	No. of Farmers Insured	Premium Collected	Claim Disbursed	Farmers Benefited
PMFBY	409756.75	16122.48	48471	297.83	645.03	11712
RWBCIS	----	31741.25	60096	1587.07	1395.92	9027
Total		**47863.73**	**108567**	**1884.90**	**2040.95**	**20739**

(Source of Data : AIC & SBI General Ins. Co.)

राज्य अधिसूचना के अनुसार जिस किसान की बीमा सम्बन्धित सूचना फसल बीमा पोर्टल पर होगी (आधार कार्ड अनिवार्य), वही किसान बीमा आच्छादन का पात्र माना जायेगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बीमित कृषकों की सूचना पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य है। पोर्टल में अपलोड कृषकों के विवरण को ही संबंधित मौसम में बीमित माना जाएगा। बीमा कम्पनियों द्वारा कृषकों को फसल बीमा से होने वाले लाभ के प्रति जागृत किया जा रहा है।

एजेण्डा संख्या – 10 :

(क) एम.एस.एम.ई. :

योजनांतर्गत इकाईयों को वितरित ऋणों की सेक्टरवार outstanding निम्नवत है :

(कुल प्रदत्त राशि करोड़ में)

प्रगति	सूक्ष्म इकाई		लघु इकाई		मध्यम इकाई		कुल ऋण राशि		योग
	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	एम.एस.एम.ई.
31.03.22	2556.85	4205.11	3835.27	6307.66	1368.40	1014.90	7760.52	11527.67	19288.19
31.03.21	1626.31	4295.49	2439.46	6443.24	900.10	1002.29	4965.87	11741.02	16706.89
31.03.20	1472.43	3978.58	2208.65	5967.87	485.73	561.78	4166.81	10508.23	14675.04

समस्त बैंकों द्वारा एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर एम.एस.एम.ई हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य **रु. 10454.00 करोड़** के सापेक्ष **रु. 10055.00 करोड़** की प्रगति दर्ज की गयी है, जो कि लक्ष्य का **96%** है।

(ख) इमरजेन्सी क्रेडिट लाईन गारंटी योजना :

उक्त योजना रु. 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर रु. 5.00 लाख करोड कर दिया गया है। योजना रु. 5.00 लाख करोड ऋण स्वीकृत होने तक अथवा 31 मार्च, 2023 तक, दोनो में से जो भी पूर्व में हो, तक जारी रहेगी।

जी.ई.सी.एल. योजना अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 73,334 खाताधारकों को रु. 2186.81 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है।

बैंकों से आग्रह है कि जिन उद्यमियों ने जी.ई.सी.एल. योजना अंतर्गत ऋण नही लिया है, उनसे सम्पर्क कर, उन्हे योजना अंतर्गत जानकारी प्रदान करें तथा उनसे प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों को त्वरित स्वीकृत करें।

GECL - 1.0 :

योजना में निम्नवत बदलाव किया गया है :

	Earlier	Now
Scheme Validity	June 30th, 2021	31st March, 2023
Additional Credit	Additional credit up to 20% of outstanding as on Feb 29th, 2020	Additional credit assistance of up to 10% of outstanding as on Feb 29th, 2020. (with respect to restructuring as per RBI guidelines)
Repayment	**For all borrowers**	**For borrowers who are elegible for restructuring as per RBI guidelines – May 05, 2021**
	Overall tenure of 4 years (comprising repayment of interest only during first year and interest and principal in 3 years thereafter)	Overall tenure of 5 years (comprising repayment of interest only during first 2 year and interest and principal in 3 years thereafter)

Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) के अंतर्गत राज्य की योग्य इकाईयों से संबंधित प्रगति निम्नवत है :

Progress as on 31/03/2022, O/S (FB+NFB) upto Rs. 50 Crores :

(Rs. In Crores)

		Eligible loan A/Cs		No. of A/Cs whom information sent	No. of Accounts		Amount		Coverage %
		No. of A/Cs	Amt.		Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	
Upto Rs. 25 Crores		107683	2562.12	107683	72966	45152	1957.92	1730.65	67.76
Above Rs. 25 to 50 Crores		1078	246.63	1078	99	89	163.46	139.83	9.18
Total		108761	2808.75	108761	73065	45241	2121.38	1870.48	67.17

GECL - 2 :-

- वर्तमान में ईमरजेन्सी क्रेडिट लाईन गारंटी योजना में रु. 50 करोड़ से रु. 500 करोड़ तक की outstanding (As on 29/02/2020 or 31/03/2021, whichever is higher) वाली इकाइयां भी इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगी। Annual Turnover की सीमा निर्धारित नही की गयी है।
- उक्त विषय में बैंकों द्वारा योग्य खाताधारकों से वार्तालाप करने पर उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया है कि ऋण की आवश्यकता पड़ने पर ही, उनके द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया जायेगा।
- Existing borrowers under ECLGS 1.0 & 2.0 would be eligible for additional credit support of upto 10% of total credit outstanding as on 29.02.2020 or 31.03.2021, whichever is higher.
- Businesses in sectors specified under ECLGS 3.0, who have previously not availed ECLGS, can avail credit support up to 40% of their credit outstanding as on 31.03.2021, to the maximum of Rs. 200 crore per borrower.
- Incremental credit can be availed within these limits by existing ECLGS borrowers whose eligibility increased because of change in cut off date to 31.03.2021 from 29.02.2020.

(c) GECL – 3.0 :

	Earlier	Now
Entities / Sector eligible	Hospitality, Travel & Tourism, Leisure & Sporting sectors	Civil aviation sector also made eligible
Scheme validity	June 30th, 2021	31st March, 2023
Ceiling	Rs. 500 crore of loan outstanding	No limit (assistance to each borrower limited to 40% of total credit outstanding or Rs. 200 crore whichever is lower)

Total number of accounts under GECL-3.0 Scheme, number of accounts sanctioned is **259** & the Amt is **Rs. 62.86 cr.**

(d) **GECL – 4.0 :**

- 100% guarantee cover to loans up to Rs. 2 crore to Hospitals / Nursing Homes/ Clinics/ Medical Colleges having credit facility with banks for setting up low cost technologies like pressure swing absorption etc. for on side oxygen generation.
- The current ceiling of Rs. 500 Cr. of loan outstanding for eligibility under ECLGS 3.0 to be removed, subject to maximum additional ECLGS assistance to each borrower has limited to 40% or Rs. 200 crore, whichever is lower.
- Total number of accounts sanctioned under GECL-4.0 Scheme is **10** & Amount **Rs. 2.57 cr.**

Update on Central Govt. Flagship Scheme :

Sr. No.	Scheme Name	As on	Information	Country	Uttarakhand
1	ECLGS	24/06/2022	No. of Beneficiaries Sanctioned	1,19,02,393	74,973
			Sanctioned Accounts (Rs. In Cr.)	3,47,879	3,232.39
			No. of Beneficiaries Disbursed	98,74,391	63,252
			Disbursed Amount (Rs. In Cr.)	2,77,568	2,456.35

Comparitive performance of Uttarakhand State Flagship Schemes (per lakh population)

.	Parameter	Uttarakhand	Country
1	ECLGS Accounts sanctioned per lakh population	743	983

(Source : DFS)

(ग) **Digitization of MSME Scheme :**

- माह जून, 2022 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा **जन समर्थ पोर्टल** प्रारम्भ किया गया है, जिससे सूक्ष्म उद्योगों को त्वरित ऋण उपलब्ध हो सके।
- जन समर्थ पोर्टल में पी.एम.ई.जी.पी., मुद्रा वेबर योजना, मुद्रा योजना, पी.एम. स्वनिधि, Self employment scheme for rehabilitation of manual scavengers, स्टेण्ड–अप इण्डिया योजनाओं का end to end digitization किया गया है।

(घ) **ग्रीन फाईनेन्सिंग :**

जल विद्युत उर्जा :

उत्तराखण्ड राज्य में जल विद्युत के 24551 मे0वा0 क्षमता के दोहन हेतु अनुकूल नीतियों का निर्धारण पर्यावरण नीति के अनुसार हो रहा है। 4092 मे0वा0 विद्युत उत्पादन परिचालन में हैं तथा 2275 मे0वा0 निर्माणाधीन परियोजनाओं में कार्य हो रहा है।

Clean Energy एवं अक्षय उर्जा (Renewal Energy) के तहत उत्तराखण्ड राज्य में जल विद्युत उर्जा के उत्पादन का कार्य प्रगतिशील है। व्यासी परियोजना (120 मे0वा0) का लोकार्पण कर दिया गया है, लखवाड़ परियोजना (300 मे0वा0) तथा किशाउ परियोजना (660 मे.वा0) हिमाचाल प्रदेश की सहभागिता में बनना प्रस्तावित है।

टी.एच.डी.सी. का टिहरी परियोजना के लिए रु. 186.00 करोड़ ऋण गतिमान है।

बैंकों से आग्रह है कि वे राज्य के लिए स्वच्छ, पर्यावरण के अनुकूल, सस्ती, विश्वसनीय और गुणवत्तायुक्त विद्युत का उत्पादन एवं निर्माण करने हेतु ऋण प्रदान करें।

Progress of Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojna (MSSY) as on 31.03.2022 :

Pending Applications of last F.Y. 2020-21	Applications sent to Bank	Reverted by Banks	Returned	Sanctioned	Disbursed	Pending
69	420	107	157	122	90	103

- रु. 10.00 लाख एवं उससे कम धनराशी वाली इकाईयों को एम.एस.एम.ई. श्रेणी अंतर्गत वित्तपोषित किया जायेगा, योजना अंतर्गत सम्पार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) की आवश्यकता नही होगी।

- ऋण राशि का CGTMSE से कवर लेना होगा।
- बैंकों को निर्देशित किया गया है कि योजना अंतर्गत ऋण खाता Special dispensation Scheme के तहत CBS में खोला जाय तथा ऋण पुर्नभुगतान की अवधि योजना अनुसार 15 वर्ष होगी। इसके लिए बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देश प्राप्त करें।

बैंक Rooftop Solar Energy एवं कुसुम योजना में ऋण वितरित करके अक्षय उर्जा की दिशा में कार्य करें।

एजेण्डा संख्या – 11 :

Market Intelligence :

Ponzi Schemes / Illegal Activities of Unincorporated Bodies / Firms / Companies Soliciting Deposits from the Public

Unauthorized collection of deposits by an entity "cong-da-xia Financial Services" :

RBI has advised that STF informed that the above mentioned entity is collecting deposits from the public of Uttarakhand in the name of various savings plans viz. Flexi Savings Plan (28 days), Annual Savings Plan (12 months, 36% returns p.a.), Customized Savings Plan (3 months) and Wealth Savings Plan with 35% returns (3 Months). The entity also claimed to have partnered with HDFC Bank and also uses the logo of the bank in its acknowledgement receipts. It was however, not found to be registered with any of the regulators viz. Ministry of Corporate Affairs (MCA), SEBI, RBI etc. also there was no news of HDFC partnering with any such entity. It appeared that, in addition to promising unrealistic heavy returns the entity was using the name of a popular commercial bank to lure investors to invest in their saving plans.

The mail circulated by SLBC to all Bank Controllers to sensitize branches under their control to be watchful of such illegal activities being carried out by unscrupulous entities for defrauding the customers

एजेण्डा संख्या – 12 :

लम्बित प्रकरण :

(i) Issues pending with State Government :

क्र.सं	विषय	वर्तमान स्थिति
1.	कृषि ऋण पर स्टाम्प शुल्क में छूट	शासन की अधिसूचना संख्या 160/2016/XXVII(9)/स्टाम्प–55/2009, दिनांक 30 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी 05 वर्ष अर्थात् **दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022** तक रु. 5,00,000.00 (रु. पांच लाख मात्र) तक के कृषि सम्बन्धी क्रिया–कलापों के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। **शासन से अवधि बढ़ाये जाने विषयक सूचना अपेक्षित है।**
2.	होम स्टे योजना : भू उपयोग परिवर्तन एवं मानचित्र विषयक	पर्यटन विभाग, होम स्टे योजना विषयक सेक्शन 143 के अंतर्गत भू–उपयोग परिवर्तन एवं मानचित्र की अनिवार्यता समाप्त करने हेतु शासन को पत्र प्रेषित कर शासनादेश में आवश्यक संशोधन कराने का प्रयास करेंगे। **शासन से उक्त विषयक सूचना अपेक्षित है।**

(ii) **Issues of SLBC pending with Banks** :

क्र.सं	विषय	वर्तमान स्थिति
1.	दिनांक 04.01.2021 को एस.एल.बी.सी. की 80वीं बैठक में माननीय राज्य वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विभिन्न बैंकों द्वारा 58 नई शाखायें खोली जानी थी।	भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 02 शाखायें, बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा 02 शाखायें एवं पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 01 शाखा खोले जाने की सूचना प्राप्त हुयी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक से नई शाखा खोलने की सूचना प्रतीक्षित है।
2.	राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का बैंकों द्वारा शाखाओं के लिए Circular Instruction एवं Product Code जारी न करना।	विभिन्न बैंक अपनी शाखाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी करें। Product Code जारी न होने के कारण योजना अंतर्गत प्रगति MIS के माध्यम से में ज्ञात नही हो पाती है।

13 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।